भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 413
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शुल्क

413 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके शुल्क में समानता न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका प्रचालन करने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मंत्रालय का विश्वविद्यालयों पर किस सीमा तक का नियंत्रण है ; और

(ङ) क्या यह विधि विश्वविद्यालय निजी है या सरकारी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार/ शिक्षा मंत्रालय या राज्य सरकार के अधीन नियंत्रित विश्वविद्यालय नहीं हैं ।

वे संबंधित राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर प्रचालन करते हैं और संबंधित अधिनियमों की व्यापक संरचना के भीतर सभी नीति विनिश्चयों के लिए उनका स्वयं का प्रबंधन है । उनके पास साधारण परिषद्, कार्यपालिका परिषद और अकादमी परिषद तथा अकादमियों के अलावा सरकारी नामनिर्देशिती में माननीय न्यायाधीश है, जो संबंधित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की नीति को शासित करने के लिए अवधारित करते हैं । विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्यन्यायमूर्ति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति हैं और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बंगलौर के कुलाधिपति हैं । संबंधित राज्य विधान मंडल संबंधित अधिनियमों का संशोधन कर सकते है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विधिविश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है ।

उनके स्वयं के नियमों के अनुसार उनकी अपनी फीस संरचना हैं, उनके अपने नियम हैं क्योंकि वे स्वयं के विशिष्ट प्रशासनिक और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार वे अपनें में आत्मनिर्भर हैं अत: फीस के लिए कोई समानता नहीं है ।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संदत्त प्रारंभिक धन के अतिरिक्त कोई निधि नहीं है और प्राय: कोई भी निधि राज्य सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को प्रदान नहीं की जाती है । सामान्यतया केंद्रीय सरकार से भी कोई वित्तपोषण नहीं किया जाता है ।

संबंधित अधिनियम प्रत्येक विशिष्ट राज्य में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अधिवास आरक्षण के लिए प्रायः राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों करते हैं । जबतक क्लैट आरंभ नहीं हुआ था, वे सभी अलग-अलग प्रवेश परीक्षा कराते थे और अब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के अतिरिक्त जो पृथक रुप से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है, सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा कराते हैं ।

****